न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–10/2023–24

प्रथम पक्षः–धनेश्वरी देवी एवं अन्य, ग्राम–लमटा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–किशोरी साव एवं अन्य, ग्राम–लमटा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

1 2 3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदिकाः–धनेश्वरी देवी, पति–फागु साव एवं अन्य (कुल–08) सभी मौजा–लमटा, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा के अभ्यावेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई। इसमें द्वितीय पक्ष किशोरी साव, पिता–रामविलास साव एवं अन्य (कुल–03) सभी ग्राम–डाढ़ा, (लमटा) थाना–लावालौंग, जिला–चतरा। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
लमटा	46	1023 1207 1015 1052	0.30 एकड़ 0.13 एकड़ 0.16 एकड़ 0.21½ एकड़
		कुल–	0.80½ एकड़

2. इस वाद के क्रम में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को बताया है कि मौजा–लमटा, अंचल–लावालौंग के अन्तर्गत खाता संख्या–46, प्लॉट संख्या–1023, रकबा–0.60 एकड़, प्लॉट सं0–1207, रकबा–0.26 एकड़, प्लॉट संख्या–1015, रकबा–0.32 एकड़ एवं प्लॉट संख्या–1052, रकबा–0.43 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत बुलक सुण्डी, पिता–बुनियाद सुण्डी, ग्राम–लमटा है।

3. यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड के खतियानी रैयत बुलक सुण्डी के 04 पुत्र हुए। 1. हुसैनी साव, 2. मुसन साव, 3. मतलु साव एवं 4. रामेश्वर साव। बुलक सुण्डी के मृत्यु के उपरान्त चारों पुत्र शान्ति पूर्वक जोत–कोड़ करते हुए दखल–कब्जा में आये।

4. यह कि मतलु साव एवं रामेश्वर साव की नाबल्द मृत्यु हो गई, जिसके उपरान्त बुलक सुण्डी के खतियानी भूमि का हुसैनी साव एवं मुसन साव आपसी बंटवारा कर आधे–आधे हिस्से में दखल–कब्जा में आये, जिसमें 0.80½–0.80½ एकड़ भूमि हिस्से में आया।

Scanned with OKEN Scanner

5. यह कि प्रथम पक्ष के मुसन साव को आर्थिक आवश्यकता पड़ने पर अपने हिस्से की 0.80½ एकड़ भूमि रामविलास साव, पिता–कुंवर साव, ग्राम–डाढ़ा, थाना–सिमरिया, जिला–हजारीबाग को रूपये 1000/– (एक हजार) के एवज में निबंधित केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.1975 द्वारा बिक्री कर दिया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई थी कि 1000/– (एक हजार) रूपये वापस करने पर केवाला वापस कर दिया जायेगा। शर्त के अनुसार मुसन साव के द्वारा रामविलास साव को 1000/– रूपये वापस कर दिया गया, परन्तु रामविलास साव के द्वारा केवाला वापस नहीं किया गया, जबकि प्रश्नगत भू–खण्ड पर मुसन साव प्रारम्भ से हीं दखल–कब्जा में रहें हैं।

6. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा वर्ष–2023 में अपने खतियानी भूमि का लगान रसीद निर्गत करवाने हेतु अंचल कार्यालय गये, तो अंचल कार्यालय के द्वारा जानकारी हुई कि दाखिल–खारिज वाद संख्या–96/2022–23 से प्रश्नगत भू–खण्ड का जमाबन्दी रामविलास साहु, पिता–कुंवर साव, ग्राम–डाढ़ा, थाना–लावालौंग के नाम से कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रही है।

7. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन के माध्यम से यह बताया गया कि द्वितीय पक्ष के द्वारा जो लिखित कथन दाखिल किया गया है वो पूरी तरह से गलत एवं अंचल कार्यालय के कर्मियों को मेल में लाकर जमाबन्दी कायम कराया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि द्वितीय पक्ष के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द करते हुए प्रथम पक्ष के नाम से जमाबन्दी कायम किया जाय।

8. प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में 1. खतियान की सत्यापति प्रति, 2. लगान रसीद की प्रति, 3. पंजी–2 की प्रति, 4. केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.1975 की छायाप्रति, 5. एकरारनामा की छायाप्रति एवं 6. वशांवली की छायाप्रति संलग्न किया है।

9. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन, राजस्व कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के लिखित बहस के माध्यम से कहा है कि प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया वाद निराधार एवं तत्काल खारिज करने योग्य है।

10. यह कि खतियानी रैयत बुलक सुण्डी के बुलक सुण्डी के 04 पुत्र हुए। 1. हुसैनी साव, 2. मुसन साव, 3. मतलु साव एवं 4. रामेश्वर साव। मतलु साव एवं रामेश्वर साव की नावल्द मृत्यु हो गई, जिसके उपरान्त बुलक सुण्डी के खतियानी भूमि का हुसैनी साव एवं मुसन साव आपसी बंटवारा कर आधे–आधे हिस्से में दखल–कब्जा में आये, जिसमें 0.80½–0.80½ एकड़ भूमि हिस्से में आया।

Scanned with OKEN Scanner

11. यह कि खतियानी रैयत बुलक सुण्डी के पुत्र मुसन साव को आर्थिक तंगी होने पर अपने हिस्से की 0.80½ एकड भूमि 1000/– रूपये के एवज में रामविलास साव, पिता–कुंवर साव, ग्राम–डाढा, थाना–लावालौंग के पास बंधिक के रूप में गिरवी रख दिये। मुसन साव के द्वारा पैसे चुकाने में असमर्थ होने पर निबंधित केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.1975 के द्वारा रामविलास साव, पिता–कुंवर साव, ग्राम–डाढ़ा, लावालौंग के नाम से केवाला कर दिया गया, जिसमें उपरान्त रामविलास साव प्रश्नगत भू–खण्ड पर दखल–कब्जा में आये।

12. यह कि 1000 रूपये वापसी करने से संबंधित कोई भी साक्ष्य इस न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराई गई।

13. यह कि रामविलास साव की मृत्यु के समय उनके पुत्र नाबालिग तथा अनपढ़ थे। बालिग होने पर जब उनको केवाला की जानकारी हुई, तब अंचल कार्यालय में जाकर दाखिल–खारिज हेतु आवेदन दिये, जिसके उपरान्त अचंल कार्यालय के अंचल निरीक्षक तथा राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा स्थलीय जाँचोपरान्त दाखिल–खारिज वाद संख्या–96–R27/2022–23 , दिनांक–02.01.2023 द्वारा दाखिल–खारिज करावाकर सरकारी लगान रसीद निर्गत कराई गई तथा लम्बे समय से उक्त भूमि पर दखल–कब्जा में रहकर जोत–कोड़ करते आ रहें हैं।

14. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत कर प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबन्दी को यथावत रखा जाय।

15. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 1. निबंधित केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.2024 की छायाप्रति, 2. दाखिल–खारिज वाद संख्या–96–R27/2022–23 , दिनांक–02.01.2023 की छायाप्रति एवं 3. सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति सलंग्न किया है।

16. उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायाल, झारखण्ड ने अपने **2014 (1) JCR 342 Jhar.) The State of Jharkhand Vs. Taurian Infrastructure)** में मार्गदर्शन दिया है कि ***"Mutation Order can be passed only on the basis of possession."***

17. **Depta Tiwari Vs State of Bihar, 1987 PLJR 1037 में कहा गया है कि *"It is not disputed nor can it be in law, that an order with regard to mutation has to be passed on the basis of possession only inasmuch as the authorities concerned cannot decide in such case a disputed and complicated question of title."***

Scanned with OKEN Scanner

18. **Dipan Ram V/s State of Jharkhand and Ors** में कहा गया है कि ***"Possession is important for mutation"***

19. उक्त परिपेक्ष्य में अंचल कार्यालय, लावालौंग द्वारा बिना दखल–कब्जा के द्वितीय पक्ष का जमाबंदी कायम करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। बिना स्थलीय जाँच किये हीं अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.1975 के आधार पर जमाबन्दी कायम कर दिया गया, ऐसे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि द्वितीय पक्ष के खाता संख्या–46, प्लॉट संख्या–1023, रकबा–0.30 एकड़, प्लॉट संख्या–1207, रकबा–0.13 एकड़, प्लॉट संख्या–1015, रकबा–0.16 एकड़, प्लॉट संख्या–1052, रकबा–0.21½ एकड़, कुल रकबा– 0.80½ एकड़ पर कायम जमाबन्दी को दाखिल–खारिज के राजस्व नियमों एवं माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गए मार्गदर्शनों के विरूद्ध है, अतः इसे **स्थगित** किया जाता है। अंचल अधिकारी, लावालौंग को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष के नाम से **दखल–कब्जा** को आधार मानते हुए जमाबन्दी कायम करना सुनिश्चित करेंगें। जहाँ तक केवाला संख्या–4170, दिनांक–04.07.1975 का प्रश्न है, तो इसे रद्द कराने हेतु प्रथम पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

18/12/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

18/12/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2025.01.01 16:53:58 +05:30
Location: 192.168.114.12

Scanned with OKEN Scanner